न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, दरभंगा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–872 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 17.06.2026**

(नेहरा थाना काण्ड सं0 04 / 2026 अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),74,75,109,303(2),352,351(2),3(5) बी0एन0एस0)

1. जलधारी यादव पुत्र स्व0 राम बहादुर यादव..............आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र कुमार सुमन

विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजकः– श्री अमरेन्द्र नारायण झा।

आदेश

17.06.2026 आवेदक / अभियुक्त **जलधारी यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु चालित किया गया। उक्त आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका 2 में आवेदक / अभियुक्त के पूर्व में भी एक बार अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसका अग्रिम जमानत आवेदन सं0 121 / 2026 था, इस तथ्य को छुपाया गया है। जो बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया कार्य विधि विरूद्ध है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका 2 में छुपाए गए तथ्यों पर विरोध प्रकट करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करने का प्रार्थना किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक / अभियुक्त जलधारी यादव के अग्रिम जमानत आवेदन में उसके द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 121 / 2026 दाखिल किया गया था। इस तथ्य को छुपाने के आधार पर इस अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित्
ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	17-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	17-06-2026
Uploading Date	20-06-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)